दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/फ्लाई लीफ/11/2021

फ्लाई लीफ सं. 11/2021

इंजीनियरी कर्मचारी.....ध्यान दें

वर्ष 2021-22 के लिए रेलपथ हेतु शीतकालीन पूर्वोपाय

(सीटीई/एससीआर का **दि.12.10.2021 का अर्ध सरकारी पत्र सं.डब्ल्यू.टी.-5/एसपी-डब्ल्यूपी/जिल्दIV,)**

1. जागरूकता:

a. यूएसएफडी जांच के परिणाम के संबंध में फील्ड पदाधिकारियों, विशेष रूप से पर्यवेक्षीय स्तर (रेलपथ) में जागरूकता बढाने के लिए कदम उठाए जाएं और शीतकाल आरंभ होने से पहले ही कार्रवाई की जाए.

b. यूएसएफडी नियमावली (शुद्धिपर्ची -5 सहित संशोधित 2012) के अनुबंध के अनुसार एटी झलाइयों की आवधिक जांच और टीएमएस में अद्यतन डाटा फीड करना सुनिश्चित किया जाए.

c. सभी सेक्शनों में आवश्यकता पर आधारित अवधारणा के अनुसार पटरियों की सामान्य यूएसएफडी जांच सुनिश्चित की जाए.

d. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई यूएसएफडी जांच बकाया न हो और यूएसएफडी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाए.

e. सेक्शन के सहायक मंडल इंजीनियर प्रत्येक कर्मचारी व गैंग से बातचीत करें और रेल तापमान को विधिवत रिकॉर्ड करते हुए अगले 15 दिनों में किए जाने वाले शीतकालीन पूर्वोपाय समझाएं.

f. इंजीनियरी अधिकारी व कर्मचारी निम्नलिखित स्थानों पर पुश ट्रॉली द्वारा विस्तृत निरीक्षण करें .

   a) यह सुनिश्चित करें कि संबंधित स्थानों पर जॉगल्ड फिश प्लेट उचित फिटिंग सहित उपलब्ध हैं.

b) प्रमुख जंक्शन स्टेशनों और मार्शलिंग यार्डों में प्लैटफार्म लाइन तथा अन्य पैसेंजर लाइनें.

c) जंग संभावित क्षेत्र.

d) प्रमुख पुल, सुरंगें, उच्च तटबंध पहुंच मार्ग और नुकीले घुमाव.

2. पटरी की खराबियों का पता लगाना, जिनके कारण दरारें पड़ती:हैं

A. यूएसएफडी परीक्षण द्वारा :

a. 72 यूटीएस पटरियों में, दरारों की प्रवृत्ति 250 जीएमटी से अधिक वृद्धि दिखाई पडी है, जबकि 90 यूटीएस पटरियों में आरंभिक 50 जीएमटी तक उच्च खराबी दर दिखाई पडी है. अत : आवश्यकता पर आधारित अवधारणा के अनुसार यूएसएफडी जांच के साथ, सभी 72 यूटीएस रेल क्षेत्र, जहां रेलपथ पर यातायात 250 जीएमटी से अधिक हो और 90 यूटीएस क्षेत्र, जहां पर यातायात 50 जीएमटी से अधिक हो, में 31 अक्तूबर से पहले (शीतकाल आरंभ होने से पहले) जांच का एक दौर पूरा किया जाए.

b. सामान्य जांच के साथ, सभी प्रमुख पुलों और पहुंच मार्ग पर दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक एसकेवी/एटी झलाइयों की जांच शीतकाल आरंभ होने से पहले की जाए.

B. **दृश्यता परीक्षा द्वारा** : जागल्ड फिश प्लेट सहित फिश प्लेट की ग्रीसिंग करते समय फिश प्लेटेड जाइंट पर पटरियों के छोर और बोल्ट छिद्रों का परीक्षण करें.

3. दरारों का पता लगाना

A. चाबीवाले द्वारा:

चाबीवाले के कार्य घंटों में परिवर्तन किया जाए ताकि खराबी, यदि कोई हो,का पता समय रहते लगाया जा सके. चाबीवाले और गश्ती को दि.01.11.20 से 28./29.02.21 तक 06.00 बजे से 11.00 बजे तक और 14.00 बजे से 17.00 बजे तक दरारों का पता लगाने और संरक्षात्मक उपाय करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए .

B. रात्रि गश्ती द्वारा:

a. रात्रि शीतकालीन गश्त 1 नवंबर से 28/29 फरवरी तक की जाए. स्थानीय स्थितियों के आधार पर उपर्युक्त अवधि को उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जाए / बढाया जाए.

b. चिह्नित ब्लॉक सेक्शनों पर 22.00 बजे से 06.00 बजे तक रात्रि शीतकालीन गश्त (मानसून गश्त के लिए विनिर्दिष्ट किए अनुसार) की जाए. इस प्रयोजन के लिए, सेक्शन के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/ मंडल इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रात्रि शीतकालीन गश्त चार्ट सर्वसंबंधित को जारी किया जाए.

c. बीट की लंबाई और श्रमशक्ति के परिनियोजन का निर्णय वर्तमान स्थानीय स्थितियों, गाडी सेवा की बारंबारिता,मौसम की स्थिति आदि के आधार पर लिया जाए.

d. ऐसे मामले में, जहां पर चार्ट में दर्शाए समय पर रात्रि गश्ती न आए, वहां पर "40 कि.मी. प्रति घंटे का गति प्रतिबंध " लगाया जाए और ऐसे ब्लॉक सेक्शन में पहले माल गाड़ी को अनुमत किया जाए.

e. गश्ती को संबंधित सहायक स्टेशन मास्टर से हस्ताक्षर प्राप्त करने के अलावा मार्ग में समपार पर तैनात फाटकवाले के हस्ताक्षर भी लेने होगें. गश्ती द्वारा बीट पुस्तक का आदान-प्रदान बीट आदान-प्रदान स्थान पर किया जाए.

f. गश्त चार्ट के अनुसार गश्ती की उपलब्धता का पता लगाने के लिए नामित इंजीनियरी पदाधिकारियों द्वारा रात्रि फुट प्लेट निरीक्षण किया जाए.

g. "विशेष गश्त" मोबाइल गश्ती को ऐसे चिह्नित हिस्सों पर तैनात करते हुए की जाए, जहां सामान्य रात्रि शीतकालीन गश्त के अलावा पटरियों का संक्षारण काफी अधिक हो. ऐसे हिस्सों पर निर्णय संबंधित वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा लिया जाए.

h. रात्रि गश्ती,जो 22.00 बजे से 04.00 बजे के बीच पटरी/झलाई की खराबी का पता लगाते हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप 500/- रूपए प्रदान किए जाएं.

4. निवारक कार्रवाई:

a. वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 (30.09.21 तक) के लिए चिह्नित पटरी/झलाई खराबी संभावित कि.मी./ब्लॉक सेक्शन की मंडलवार सूची को मुख्य रेलपथ इंजीनियर द्वारा अंतिम रूप दिया गया है. मुख्य रेलपथ इंजीनियर द्वारा बताए अनुसार 10 पाइंट कार्यक्रम लागू करते हुए सुधारात्मक उपाय किए जाए.

b. 15 से अधिक वार्षिक जीएमटी वाले सेक्शनों पर सभी एटी और एसकेवी झलाई, जिनकी 50% निर्धारित उपयोग अवधि पूरी हो गई है, उन पर जॉगल्ड फिश प्लेट के साथ 2 फार एंड बोल्ट लगाने के लिए निम्नलिखित स्थलों पर प्राथमिकता दी जाए.

   i) घुमाव पर,विशेष रूप से बाहरी पटरी पर.

   ii) पुलों के पहुंच मार्गों पर.

   iii) 5 मी. से ऊंचे, उच्च तटबंध,

   iv) 3 मी. से 5 मी. के बीच उच्च तटबंध और

   v) अन्य स्थान.

c. पहुंच मार्ग और एसडब्ल्यूपी रेलपथ सहित सभी पुलों पर फिश प्लेटेड जाइंट पर एक मीटर लंबी फिश प्लेट उपलब्ध कराई जाए. प्रमुख पुलों और पहुंच मार्ग का कार्य प्राथमिकता पर शीतकाल आरंभ होने से पहले पूरा किया जाए.

d. एपॉक्सी पेंट / जंग रोधी पेंट के साथ वेल्ड कॉलर को पेंट किया जाए.

e. चिह्नित दरार संभावित हिस्सों में टीडब्ल्यूआर कार्य प्राथमिकता पर किया जाए.

f. दरार संभावित के रूप में चिह्नित लंबी झलाई पटरी के लिए, डीस्ट्रसिंग निम्न तापमान अर्थात् t_m, से t_m +5 °C के बीच किया जाए.

g. संक्षारण संभावित क्षेत्र में पटरियों की पेंट किया जाए.

h. संक्षारण संभावित क्षेत्र में ग्रीस से रेल फ्लैंज के लाइनर कॉन्टेक्ट क्षेत्र की सीलिंग गेज फेस को ओर की जाए.

i. लंबी झली पटरी / संपूर्ण झली पटरी की डीस्ट्रसिंग,जहां कहीं बकाया हो, पूरी की जाए.

j. लंबी झली पटरी / संपूर्ण झली पटरी के पटरी दरार/झलाई दरार संभावित स्थानों को चिह्नित किया जाए और लापता फिटिंग की प्रतिपूर्ति और शीतकाल के लिए निम्न तापमान पर डीस्ट्रसिंग जैसे उपाय आवश्यकतानुसार किए जाएं.

k. संक्षारित फ्लैंज वाली पटरियों पर विशेष निगरानी रखी जाए. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यदि आवश्यक हो, गति प्रतिबंध लगाया जाए.

l. आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के पैरा सं. 1005(3,4 व 5) के अनुसार शीतकालीन गश्त के लिए सभी व्यवस्था की जाए.

m. वसेइंजी/कनिष्ठ इंजी.(रेलपथ) द्वारा रेल तापमान पर कड़ी निगरानी रखी जाए और तापमान रिकॉर्ड रजिस्टर का रख-रखाव किया जाए. आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के पैरा सं. 1005(3) के अनुसार शीतकालीन गश्त आरंभ की जाए.

n. आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के पैरा सं. 354(ई) के अनुसार वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ) द्वारा लंबी झली पटरी/संपूर्ण झली पटरी व सेक्शन सिरे के जोड का निरीक्षण किया जाए और आवश्यकता के अनुसार मरम्मत की जाए.

o. दरारों की मरम्मत करते समय, पटरी को रेलपथ में डालने से पहले यूएसएफडी द्वारा क्लियर किया जाए. प्रत्येक सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) के पास पटरियों का स्टॉक होना चाहिए, जिसकी जांच यूएसएफडी द्वारा की गई हो और जिसे रेलपथ पर उपयोग के लिए क्लियर किया गया हो.

p. ऐसे हिस्से, जहां पर लाइनर कॉन्टेक्ट क्षेत्र पर फुट संक्षारण अत्यधिक हो, वहां उपयुक्त गति प्रतिबंध लगाया जाए, विशेष रूप से ऐसे मामलों में, जहां पर पटरी फुट पर संक्षारण लाइनर कॉन्टेक्ट क्षेत्र अंतरित हो और लटकी हुई स्थिति में हो. ऐसे प्रत्येक मामले का निर्धारण संबंधित सेक्शन के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/ मंडल इंजीनियर द्वारा किया जाए.

5. **दरारों पर कार्रवाई**:

a. जब दरारों के बीच का अंतराल 30 मि.मी. तक हो,तब रात्रि गश्ती को दरार के स्थल से गाडी को पार करवाने के लिए सावधानियां बरतने हेतु परामर्श दिया जाए/ प्रशिक्षित किया जाए.

b. सभी चौकीदार वाले समपार फाटकों और आपाती मामलों में उपयोग के लिए गैंग औजार बक्स में क्लैंप, लकडी के ब्लॉक के साथ पर्याप्त संख्या में जॉगल्ड फिशप्लेट उपलब्ध कराए जाएं.

c. अप और डॉउन लाइनों पर अलग से हर एक किलोमीटर के अंतराल पर किसी एक पटरी पर क्लैंप के साथ जॉगल्ड फिशप्लेट उपलब्ध कराए जाएं. फिर भी, स्थान का चयन इस प्रकार किया जाए कि वे इस तरह रखे हों कि आपाती स्थिति में उपयोग के लिए हर ½ कि.मी. पर फिशप्लेट उपलब्ध हों.

मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन दक्षिण मध्य रेलवे